# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.
## (प्रथम सूचना रिपोर्ट)
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0305 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 24/12/2024 15:36 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7A |
| 2 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 308(3) |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): गुरूवार Date From (दिनांक से): 11/07/2024 Date To (दिनांक तक): 11/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 4 Time From (समय से): 09:00 बजे Time To (समय तक): 09:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/12/2024 Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 24/12/2024 15:36:15 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 1.5 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): nagar parishad churu

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य) ):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): anil kumar

(b) Father's Name (पिता का नाम): vidhyadhar

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 29/04/1971 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | a10, sainik basti churu, CHURU, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | a10, sainik basti churu, CHURU, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | trivendra sharma | banti | पिता:dhanraj | 1. ward no 35,churu,CHURU,RAJASTHAN,I |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 1,00,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 11.07.2024 को परिवादी श्री अनिल कुमार पुत्र स्व. विधाधर जाति जाट निवासी ए 10 सैनिक बस्ती चूरू ने हाजिर चौकी एसीबी चूरू होकर एक लिखित रिपोर्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश की कि " सेवामें श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक एसीडी चूरू, विषय- न0प0 चूरू के दलाल द्वारा रिश्वत मांगने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरी माताजी श्रीमती मोहनी देवी पत्नी विधाधर जी निवासी चूरू के एक भूखण्ड संख्या ए10 सैनिक बस्ती चूरू में है। मुख्य सडक चूरू में है। इस प्लॉट को वाणिज्यिक रूपान्तरण के बाद निर्माण स्वीकृति हेतु मैनें पत्रावली करीब 6 माह पहले नगर परिषद चूरू में पेश की। मेरी पत्रावली में जेईएन नगर परिषद चूरू द्वारा मौका देखकर अपनी रिपोर्ट भी कर दी थी तथा न. प. चूरू द्वारा वाणिज्यिक निर्माण स्वीकृति जारी करने के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर जोन को तकनीकि राय हेतु पत्र लिखा गया था। मैं गत 6 महिने से न.प. चूरू में निर्माण स्वीकृति के लिए बार-बार सम्पर्क कर रहा हूँ। दिनांक 11.07.2024 को नगर परिषद् चूरू में मुझे त्रिवेन्द्र शर्मा उर्फ बन्टी नामक एक व्यक्ति मिला व अपने आप को सभापति का पीए बताया व कहा कि निर्माण स्वीकृति की फाईल एसटीपी बीकानेर भेजी है, वहां से ऑब्जेक्षन करवा दूंगा, मैनें कहा 6 महिने से परेशान हो रहा हूँ तो त्रिवेन्द्र शर्मा ने कहा कि 2 लाख रूपये खर्चे के लगेंगें, बीकानेर व चूरू से सारा काम करवा दूंगा। यदि दो लाख रूपये खर्चे के नहीं दिए तो एसटीपी से आब्जेक्षन लगवा दूंगा व न0प0 चूरू से भी निर्माण स्वीकृति जारी नहीं होने दूंगा। मैं मेरा काम करवाने के लिए दलाल त्रिवेन्द्र उर्फ बन्टी नाजायज मेरे से एसटीपी बीकानेर व न0प0 चूरू से काम करवाने के लिए 02 लाख रूपये रिश्वत मांग रहा है। मैं उसे रिश्वत नहीं देकर उसे रिश्वत लेते पकड़ाना चाहता हूँ। आप कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 11.07.2024 प्रार्थी एसडी अनिल कुमार, अनिल कुमार पुत्र विधाधर चौधरी नि0 ए 10 सैनिक बस्ती चूरू। परिवादी श्री अनिल कुमार ने उपरोक्त रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताया व त्रिवेन्द्र उर्फ बन्टी से कोई रंजीश अथवा उधार लेन-देन नहीं होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाने पर परिवादी को रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि त्रिवेन्द्र उर्फ बन्टी उसे आज मिल सकता है, वह रिश्वत मांगने के संबंध में उससे वार्ता भी कर सकता है। इस पर परिवादी अनिल कुमार को सरकारी वॉईस रिकार्डर को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर साथ में श्री श्रवण कुमार कानि.79 को सत्यापन वार्ता हेतु रवाना कस्बा चूरू किया गया। वक्त 12.05 पी.एम. पर परिवादी श्री अनिल कुमार व कानि. श्रवण कुमार चौकी हाजिर आये एवं वॉईस रिकार्ड सुपुर्द कर परिवादी ने बताया कि भरतीया अस्पताल के सामने उसका मेडिकल स्टोर है जहां पर बुलाने से आरोपी त्रिवेन्द्र शर्मा आया जिससे निर्माण स्वीकृति की एनओसी बाबत वार्ता हुई परन्तु आरोपी ने रिश्वत के बारे में स्पष्ट नहीं बताया है। वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वत की वार्ता नहीं है। परिवादी ने बताया कि त्रिवेन्द्र उर्फ बन्टी ने मांग के संबंध में पुनः वार्ता करने के लिए कहा है। इस पर परिवादी को आवश्यक निर्देश देकर रूकसत दी गई। परिवादी अनिल कुमार द्वारा शाम के वक्त पुनः सम्पर्क करने पर कानि. श्रवण कुमार को वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी से सम्पर्क करने रवाना किया गया। वक्त 08.00 पीएम पर परिवादी अनिल कुमार व श्रवण कुमार कानि. हाजिर चौकी आए । परिवादी ने बताया कि मैं मेडिकल स्टोर पर था, उस वक्त त्रिवेन्द्र उर्फ बन्टी का मेरे मोबाईल पर वाट्सएप्प कॉल आया जिसमें उसने बीकानेर चलकर काम करवाने की कही है। रिश्वत राषि के संबंध में नहीं बताया है। इस पर वॉईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा जाकर परिवादी को रूकसत दी गई। दिनांक 12.07.2024 एवं 13.07.2024 को भी परिवादी द्वारा सम्पर्क करने पर कानि. श्रवण कुमार को रिश्वती मांग सत्यापन हेतु परिवादी के पास भेजा गया, परन्तु परिवादी व आरोपी के मध्य कार्य के संबंध में ही वार्ता हुई है। रिश्वत राशिके संबंध में वार्ता नहीं हुई है। दिनांक 18.07.2024 को परिवादी अनिल कुमार द्वारा जरीये दूरभाष सम्पर्क करने पर सरकारी वॉईस रिकार्डर में मैमोरी कार्ड डालकर कानि. श्रवण कुमार को सुपुर्द कर सत्यापन वार्ता के लिए परिवादी से सम्पर्क करने कस्बा में रवाना किया गया। वक्त 04.30 पीएम पर परिवादी अनिल कुमार व कानि. श्रवण कुमार हाजिर चौकी आए व वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी ने बताया कि उसकी आरोपी त्रिवेन्द्र उर्फ बन्टी से दो बार मोबाईल पर वाट्सएप्प कॉल पर वार्ता हुई जिसमें बन्टी द्वारा उसके निर्माण स्वीकृति के कार्य हेतु दिनांक 19.07.2024 को बीकानेर साथ चलने व वहां पर कार्य करवाने के लिए एक लाख रूपये साथ लेकर आने को कहा है। वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा पहले आधा लाख व बाद में पुरे एक लाख रूपये लाने की मांग करने के तथ्य पाये गए। इस पर तहसील कार्यालय चूरू से दो कर्मचारी तोषेन्द्र सिंह पटवारी व राजन सिंह कनिष्ठ सहायक को

तलब कर टै्प कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त कर परिवादी अनिल कुमार से परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करवाकर मांग सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया गया। परिवादी अनिल कुमार व आरोपी त्रिवेन्द्र शर्मा उर्फ बन्टी के मध्य उसके कार्य एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11,12,13.07.2024 की वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड है तथा दिनांक 18.04.2024 की वार्ता मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त रिकार्ड वार्ताओं को दोनों गवाहन व कानि. श्रवण कुमार के समक्ष जरीये कम्प्यूटर सुन-सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। दिनांक 11,12,13.07.2024 की रिकार्ड वार्ताओं को एक पैन ड्राईव में डाउनलोड किया गया तथा वार्ताओं की दो डीवीडी तैयार करवाकर एक डीवीडी को कपड़े की थैली में सील्ड कर मार्क 'ए-1' तथा पैन ड्राईव को थैली में सील्ड कर मार्क 'ए' अंकित किया गया। दिनांक 18.07.2024 की रिकार्ड वार्ता को दो डीवीडी में डाउनलोड करवाकर एक डीवीडी को कपडे की थैली में सील्ड कर मार्क 'बी-1' व वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को थैली में सील्ड कर मार्क 'बी' अंकित कर जरीये हैडकानि. श्री कृष्ण सिंह जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी अनिल कुमार को रिश्वती राशि एक लाख रूपये साथ लेकर दिनांक 19.07.2024 को सुबह तथा दोनों गवाहों को भी गोपनीयता रखते हुए हाजिर होने के लिए पाबन्द कर रूकसत दी गई। दिनांक 19.07.2024 को परिवादी अनिल कुमार एक लाख रूपये रिश्वती राषि लेकर तथा दोंनों गवाहन पाबन्दशुदा हाजिर चौकी आए। दोनों गवाहन के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत एक लाख रूपये (500-500 रूपये के 200 नोट) पेश किए जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाकर सभी नोटों पर कानि. राजकुमार से फिनॉलफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की बाद जामा तलाषी उसकी पहनी पेंट की दांहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई एवं आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने पर ईशारा बताया गया। कानि. राजकुमार के हाथ की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त घोल में धुलवाया जाकर परिवादी व गवाहन को फिनॉलफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का दृष्टान्त देकर महत्व समझाया गया। डिस्पोजल गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाया था, को तथा गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी सुरक्षित कार्यालय में रखवाई गई तथा कानि. राजकुमार के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। परिवादी अनिल कुमार को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने के लिए वॉईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉलफ्थलीन पाउडर अलग से तैयार की गई। परिवादी अनिल कुमार ने बताया कि त्रिवेन्द्र उर्फ बन्टी का उसके पास वाट्सएप्प कॉल आया है जिसने कहा कि मैं गाडी लेकर आपके मेडिकल स्टोर पर आ रहा हूँ। आप एक लाख रूपये लेकर तैयार रहना, अपन बीकानेर चलेगें वहां आपका काम करवा दूंगा। इस पर परिवादी अनिल कुमार को भरतीया अस्पताल के सामने उसके मेडिकल स्टोर के लिए कानि व श्रवण कुमार के साथ मोटरसाईकिल से रवाना कर कानि0 को निर्देश दिए कि परिवादी जिस गाडी में बैठकर रवाना हो उसके नम्बर लेकर अस्पताल चौराहे पर मिले। मैं उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहन तोषेन्द्र सिंह व राजन सिंह, चूरू चौकी का जाप्ता राकेश कुमार, दीपेश कुमार, बसन्त सिंह कानि, प्रमोद क.स., पुलिस निरीक्षक महेन्द्र कुमार, गिरधारी सिंह सउनि व रिपेन्द्र सिंह कानि. के जरीये प्राईवेट वाहन संख्या आरजे 10 यूए 9251 मय चालक सुभाष चन्द्र व वाहन सरकारी मय चालक सुरेन्द्र सिंह के मय लैपटॉप, प्रिन्टर, टै्रप बॉक्स इत्यादि सामान हमराह लेकर रवाना बीकानेर को हुआ। अस्पताल चौराहे से पुलिस निरीक्षक कानि- श्रवण कुमार को हमराह लेकर पीछे-पीछे रवाना हुए। वक्त 10.30 एएम पर पुलिस निरीक्षक ने जरीये दूरभाष मन् उप अधीक्षक को बताया कि परिवादी गाडी नम्बर आरजे 10 सीए 4129 में आरोपी के साथ बैठकर आया है। उक्त गाडी रतनगढ संगम चौराहे पर बने पवन होटल पर रूक गई है। इस पर पुलिस निरीक्षक को आरोपी की गाडी पुनः रवाना होने पर पीछे-पीछे रवाना होकर लोकेशन रखते हुए जरीये दूरभाष सम्पर्क करने के निर्देश दिए गए। वक्त 11.30 ए.एम. पर परिवादी अनिल कुमार ने जरीये वाट्सएप्प कॉल मन उप अधीक्षक को बताया कि आरोपी बंटी ने किसी से वार्ता कर कहा है कि साहब आज बीकानेर नहीं है, फिल्ड में है, सोमवार को बुलाया है। इसलिए बंटी सोमवार को आने की कहकर चूरू वापस चलने की कह रहा है। परिवादी द्वारा उक्त तथ्य बताये जाने पर उस दिन कार्यवाही किया जाना संभव नहीं था, इस पर पुलिस निरीक्षक को उक्त हालात बताते हुए परिवादी व एसओ की निगरानी हेतु निर्देश देकर मैं उप अधीक्षक मय जाप्ता बीकानेर में नागौर बाईपास से रवाना चूरू हुआ। वक्त 02.30 पीएम पर मैं उप अधीक्षक मय जाप्ता के चूरू भरतीया अस्पताल चौराहे पर पहुंचा जहां पुलिस निरीक्षक सरकारी वाहन सहित मय जाप्ता व परिवादी अनिल कुमार के उपस्थित मिले जिन्हे साथ लेकर चौकी चूरू पहुंचा। परिवादी अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी त्रिवेन्द्र उर्फ बंटी की बीकानेर अधिकारी से वार्ता हुई जिसने कहा कि आज वह फिल्ड में है तथा सोमवार को बुलाया है इस पर बंटी ने कहा कि सोमवार को सुबह बीकानेर चलेगें मैं आपका काम करवा दूंगा। इस पर परिवादी अनिल की जेब में रखी रिश्वती राशि एक लाख रूपये गवाह से निकलवाकर एक कागज में लपेटकर सुरक्षित रखी गई। परिवादी से वॉईस रिकार्डर वापस लिया गया। परिवादी ने बताया कि बंटी से कोई आवश्यक वार्ता नहीं होने के कारण उसने वॉईस रिकार्डर चालू नहीं किया। परिवादी व दोनों गवाहन को गोपनीयता रखने की हिदायत कर रूकसत दी गई। दिनांक 18.08.2024 को परिवादी अनिल कुमार से जरीये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो उसने बताया कि बीकानेर एसटीपी कार्यालय से अभी तक उसका कार्य नहीं हुआ है तथा त्रिवेन्द्र उर्फ बन्टी से भी पिछले कई दिनों से सम्पर्क नहीं हो रहा है। त्रिवेन्द्र से सम्पर्क होते ही व उससे

वार्ता कर पुनः सम्पर्क करेगा। दिनांक 02.09.2024 को परिवादी अनिल कुमार हाजिर चौकी आया व बताया कि बीकानेर एसटीपी कार्यालय से उसके निर्माण से संबंधित एनओसी दिनांक 21.08.2024 को जारी होकर नगर परिषद चूरू में प्राप्त हो गई है तथा त्रिवेन्द्र उर्फ बन्टी भी उससे बात नहीं कर रहा है। इसलिए अब वह आगे की कार्यवाही नहीं करवाना चाहता। परिवादी द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि एक लाख रूपये वापस लेने बाबत लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अनिल कुमार को सुरक्षित रखी गई एक लाख रूपये की राशि वापस दी जाकर रसीद प्राप्ति ली गई। अब तक के उपरोक्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्री अनिल कुमार की माताजी के नाम सैनिक बस्ती चूरू में मुख्य सड़क पर स्थित भू-खण्ड में निर्माण करने हेतु निर्माण स्वीकृति के लिए नगर परिषद चूरू में आवेदन किया गया। उक्त आवेदन के अनुसार निर्माण स्वीकृति के लिए नगर परिषद चूरू द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर से राय प्राप्त करने हेतु प्रकरण बीकानेर भेजा गया। वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर से परिवादी श्री अनिल कुमार के पक्ष में राय दिलवाने हेतु दलाल श्री त्रिवेन्द्र शर्मा उर्फ बन्टी निवासी चूरू द्वारा परिवादी श्री अनिल कुमार को वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर से अच्छे सम्बन्ध होने के कारण वहां से कोई एतराज नहीं कराकर एन.ओ.सी. दिलाने की कहना व परिवादी को डरा-धमकाकर वरिष्ठ नगर नियोजक के नाम से एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 308(3) बीएनएस 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः श्री त्रिवेन्द्र शर्मा उर्फ बन्टी पुत्र श्री धनराज जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 35 चूरू (राज.) के विरूद् धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 308(3) बीएनएस 2023 में अभियोग पंजीबद् किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्र0नि0 ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है। भवदीय (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू .......... कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चुरू ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 308 (3) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपी श्री त्रिवेन्द्र शर्मा उर्फ बन्टी पुत्र श्री धनराज जाति ब्राहम्ण उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 35 चूरू के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चुरू को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 297 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1690-92 दिनांक 24-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, तृतीय जयुपर। 3- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चुरू । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** MAHENDRA KUMAR **Rank (पद):** निरीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2 2/2024

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1992 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)